रजिस्ट्री सं. डी. (डी.) 187
REGISTERED NO. D. (D.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1981/पौष 3, 1903

No. 51] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1981/PAUSA 3, 1903

भाग IV
PART IV

भाग I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Delhi Administration other than Notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

संख्या: एफ० 5/15/81-शि०/4377.--दिल्ली विद्यालय शि० अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों, कर्तव्यों, और कार्य को वित्त आयुक्त, दिल्ली प्रशासन प्रति-आयोजित करते हैं तथा यदि उनके समक्ष कोई अपील, कार्यवाही, यदि कोई निलम्बित हो तो वह भी दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित मानी जाएगी, जो कि ऐसी अपीलों/कार्यवाही पर उसी अवस्था से कार्यवाही आरम्भ करेंगे जिस पर वे इस समय निलम्बित हों।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के नाम पर तथा उनके आदेश से,

श्रीमती ए० मिश्रा, सचिव (शि०)

(EDUCATION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 1981

No. F.5/15/81-Edn./4377.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Delhi School Education Act, 1973 (Act No. 18 of 1973), the Administrator of the Union territory of Delhi is pleased to delegate his powers, duties and functions under sub-section (3) of Section 4 of the aforesaid Act, to the "Financial Commissioner, Delhi Administration", Delhi, and the appeals/proceedings, if any, pending before the former under those provisions of the said Act, shall be transferred to the latter who shall take up such appeals, proceedings from the stage they are pending at present.

By order and in the name of the Administrator of the Union territory of Delhi.

MRS. A. MISRA, Secy. (Education)

संख्या फा० 2(72)/80,सेवा-(2).—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24(78)/68-डी० एन० (एस०) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के बाद प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	क्या (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
उप निदेशक (प्रशिक्षण)	*1 (1981) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय	1300-50-1700 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय है) टीप :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे उम्मीदवार (अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) के लिये वही होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तरीख है।	नहीं	अनिवार्य: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/विद्युत/सिविल अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता। (2) 8 वर्ष का व्यवसायिक या अध्यापन का अनुभव जिसमें किसी ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान में या किसी प्रशिक्षण संस्था में पर्यवेक्षणीय हैसियत का कम कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टीप 1 :—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2 :—यदि चयन को किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो इन जातियों के

1	2	3	4	5	6	6क	7
							उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। वांछनीय : (1) विभिन्न प्रकार की इन्जिनियरी तथा कुटीर एवं लघु उद्योग के भवन निर्माण-शिल्प की जानकारी (2) स्थानीय भाषा/भाषाओं का ज्ञान (3) शिल्पकार एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजनाएं चलाने का प्रशासनिक अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं शैक्षिक योग्यताएं—कालम 11 में उल्लिखित सीमा तक	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न मिलने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा दोनों प्रकार से न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : (1) सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) (2) प्रधानाचार्य—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूसा और अरब-की-सराय तथा बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र और (3) सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/	1. 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिये) : (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य—अध्यक्ष (2) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—सदस्य (3) प्रशासन के संबंधित सचिव—सदस्य	पदोन्नति, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी के नियुक्त करने के लिये चयन और इस नियमों के किसी उपबन्धों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

8	9	10	11	12	13
			विद्युतीय/सिविल अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डिग्री हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के-- (क) समरूप पद धारण करने वाले, अथवा (ख) 1100-1600 के वेतनमान या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों में तीन वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी तथा कालम 7 के नीचे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी।	(4) संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वे प्रशासन में पदेन सचिव न हों--सदस्य 2. 'क' वर्गीय विभागी पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) : (1) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली---अध्यक्ष (2) प्रशासन के संबंधित सचिव---सदस्य (3) संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वे प्रशासन में पदेन सचिव न हों---सदस्य टीप :---पुष्टिकरण के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई जायेगी। यदि आयोग अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में नयी बैठक होगी।	:

टीप :--- 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

2. इन नियमों को किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

4. भर्ती नियमों के कालम---6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F.2(72)/80-S. II :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968 the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical education, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical Education : Delhi Administration.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Deputy Director (Training)	*1 (1981) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1300-50-1700.	Selection.	Not exceeding 45 years (Relaxable upto 5 years for Government servants) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential: (i) At least Second Class Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised University or equivalent. (ii) 8 years' professional or teaching experience of which at least five years should be in a supervisory capacity in a reputed concern or in a training institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Working knowledge of various engineering and building trades of cottage and small scale industries. (ii) Knowledge of local language(s). (iii) Administrative experience in running craftsman and apprenticeship training schemes.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputaion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	
Age : No Educational Qualifications : To the extent indicated in column 11	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion: (a)(i) Assistant Director (Training), (ii) Principal, ITIs, Pusa and Arab-ki-Sarai and Basic Training Centre; and (iii) Assistant Apprenticeship Adviser. (b) With three years' regular service in the grade and possessing Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised Univetsity or equivalent. Transfer on deputation : Officers from the Central/State Governments and Union Territories— 1. (a) holding analogous posts; or (b) with three years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and 2. possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	1. Group 'A' DPC (for considering promotion) (i) Chairman/Member of the U.P.S.C.—Chairman. (ii) Chief Secretary, Delhi Administration—Member. (iii) Secretary concerned in the Administration—Member. (iv) Head of Deptt. concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member. 2. Group 'A' DPC (for considering con[illegible]tion). (a) Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi—Chairman. (b) Secretary concerned in the Administration—Member. (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member. Note:—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Congulation with U.P.S.C. necessary while making promotion, direct rectt. selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

NOTES :—

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.

2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.